"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 308] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 जुलाई 2017—— आषाढ़ 31, शक 1939

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2017

संशोधित आदेश

विषय :- त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप-8क, 8ख, 8ग, 8घ) में वर्णक्रम निर्धारण हेतु छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-38(3) के तहत् विहित प्रक्रिया.

क्रमांक एफ 38-1/तीन(एक)-4/पंचा.निर्वा./2017/3124.—— छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 277-अ, दिनांक 6 जुलाई 2017 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 38-1/तीन(एक)-4/पंचा.निर्वा./2017/2977 दिनांक 30 जून 2017 के प्रथम पैरा के दूसरी लाईन में लिपिकीय त्रुटिवश "दिनांक 04-06-2014" मुद्रित हो गया है. अत: "दिनांक 04-06-2014" के स्थान पर "दिनांक 04-06-2004" पढ़ा जावें;

इसी तरह उक्त आदेश के कंडिका-4 की अंतिम लाईन में शब्द "संबंधी" एवं कंडिका-13 की चौथी लाईन में शब्द "आयोग" लिपिकीय त्रुटिवश मुद्रित हो गया है. अत: शब्द "संबंधी" के स्थान पर "संबंध" एवं "आयोग" के स्थान पर "आयेगा" पढ़ा जावें.

हस्ता./-
(ओंकार सिंह)
सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017 .